फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भेरूसिंह विपक्षी :– श्री जवानसिंह

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. पत्रावली संख्या : 71/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.07.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 2, 7 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। विपक्षी सं. 1, 3 से 6, 8 से 11 के नोटिस बाद तामील प्राप्त होकर शामिल फाईल है, आज अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सं. 2, 7 की बहस सुनी गई। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 2, 7 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया तथा पत्थरगढी किया जाने पर सहमति जाहिर की हैं। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोयणा पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 327 किता 1 रकबा 1.0522 हेक्टेयर भूमि के उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। (कपिल कुमार कोठारी) सहायक कलक्टर (SDO)मावली Signature Not Verified Digitally signed by Kapil Kumar Kothari Date: 2022.08.03 15:22:53 IST Reason: SelfAttested	